

# यूजेवीएन लिमिटेड

“उज्ज्वल”, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड,  
देहरादून – 248006

## सार्वजनिक सूचना

यूजेवीएन लिमिटेड की 11 वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं की वित्तीय वर्ष 2023–24 के वास्तविक व्यय के राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप), वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (Annual Performance Review) एवं पंचम नियन्त्रण काल वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28 के वार्षिक तय लागत (Annual Fixed Charges) के निर्धारण हेतु यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दायर याचिकाओं पर सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

**वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ याचिकाओं/वार्षिक तय लागत के मुख्य बिन्दु :-**

- यूजेवीएन लिमिटेड (उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम) द्वारा अपनी 11 वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (Annual Performance Review) एवं पंचम नियन्त्रण काल वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28 के वार्षिक तय लागत (Annual Fixed Charges) के निर्धारण हेतु हेतु माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिकाएं दायर की गयी हैं। उक्त याचिकाओं के माध्यम से यूजेवीएन लिमिटेड ने अपने 9 पुराने जल विद्युत गृहों, मनेरी भाली- I। एवं नई व्यासी वृहद् जल विद्युत गृह हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के वास्तविक व्यय के राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप) के लिये भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। यूजेवीएन लि0 द्वारा अपनी 11 वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन दरों के निर्धारण हेतु दायर याचिकाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैं:-

| वार्षिक तय लागत (Annual Fixed Charges) (रु0 करोड़ में) |                                               |                              |                                                       |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| विद्युत गृह का नाम                                     | वित्तीय वर्ष 2023–24 राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप) |                              | वित्तीय वर्ष 2024–25 (वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा) |                                       | वित्तीय वर्ष 2025–26           | वित्तीय वर्ष 2026–27           | वित्तीय वर्ष 2027–28           |
|                                                        | स्वीकृत (टैरिफ आदेश दि0 30.03.2023)           | यूजेवीएन लि0 द्वारा अधियाचित | स्वीकृत (टैरिफ आदेश दि0 28.03.2024)                   | यूजेवीएन लि0 द्वारा पुनरीक्षित अनुमान | यूजेवीएन लि0 द्वारा प्रस्तावित | यूजेवीएन लि0 द्वारा प्रस्तावित | यूजेवीएन लि0 द्वारा प्रस्तावित |
| ढकरानी                                                 | 28.14                                         | 30.27                        | 27.66                                                 | 42.93                                 | 62.67                          | 94.15                          | 125.30                         |
| ढालीपुर                                                | 41.51                                         | 48.20                        | 49.44                                                 | 65.65                                 | 75.83                          | 88.56                          | 93.33                          |
| छिबरो                                                  | 97.79                                         | 97.75                        | 106.38                                                | 106.72                                | 121.08                         | 150.48                         | 167.16                         |
| खोदरी                                                  | 56.00                                         | 54.61                        | 60.08                                                 | 63.85                                 | 66.31                          | 82.62                          | 99.43                          |
| कुलहाल                                                 | 27.73                                         | 29.22                        | 31.09                                                 | 34.31                                 | 40.40                          | 54.02                          | 66.98                          |
| रामगंगा                                                | 57.42                                         | 61.01                        | 60.73                                                 | 63.11                                 | 73.25                          | 82.36                          | 89.56                          |
| चीला                                                   | 83.61                                         | 88.76                        | 104.50                                                | 108.14                                | 140.39                         | 183.95                         | 221.54                         |
| मनेरी भाली- I                                          | 81.80                                         | 89.54                        | 91.26                                                 | 98.96                                 | 108.34                         | 117.74                         | 128.28                         |
| खटीमा                                                  | 45.40                                         | 45.97                        | 45.48                                                 | 47.51                                 | 50.56                          | 58.91                          | 61.39                          |
| मनेरीभाली- II                                          | 212.03                                        | 279.72                       | 207.05                                                | 301.40                                | 312.17                         | 332.30                         | 348.78                         |
| व्यासी                                                 | 268.28*                                       | 397.46                       | 268.28*                                               | 415.69                                | 432.95                         | 433.28                         | 434.59                         |
| योग:                                                   | 999.71                                        | 1222.51                      | 1051.95                                               | 1348.27                               | 1483.95                        | 1678.37                        | 1836.34                        |

\*गणना प्रोजेक्शनल टैरिफ @ रु7.60 प्रति यूनिट एवं अधियाचित डिजाईन इनर्जी 353.00 एम0यू0 पर आधारित है।

- यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अधियाचित वार्षिक तय लागत व वास्तविक प्राप्त राजस्व में कुल रु0 343.09 करोड़ कैरिंग लागत (Carrying cost) सहित के अंतर (एच0पी0एस0ई0बी0 के अन्तर के प्रभाव को छोड़ते हुये) की गणना की गयी है।

3. यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 41.50% की वृद्धि(वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत वार्षिक तय लागत के सापेक्ष) प्रस्तावित की गयी है। माननीय आयोग द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड के दावों (11 वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप) तथा इस पर कैरिंग लागत (Carrying cost)को जोड़ते हुए)को पूर्णतः स्वीकार करने की दिशा में, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित वृद्धि के अतिरिक्त उपभोक्ता दरों में 5.15% की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी।
4. यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित विस्तृत प्रस्ताव किसी भी कार्य दिवस में माननीय आयोग के कार्यालय अथवा यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून के कार्यालय में निःशुल्क अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। इससे सम्बन्धित सारांश यूजेवीएन लिमिटेड के उपरोक्त कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।
5. यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव माननीय आयोग की वेबसाइट [www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in) एवं यूजेवीएन लिमिटेड की वेबसाइट [www.ujvnl.com](http://www.ujvnl.com) पर भी उपलब्ध हैं।
6. उपभोक्ताओं एवं अन्य हितधारकों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में आपत्ति/सुझाव, आमंत्रित किये जाते हैं। आपत्ति या सुझाव प्रमाणिक दस्तावेजों एवं साक्ष्यों सहित “सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट आई0 एस0 बी0 टी0, पो0 आ0 – माजरा, देहरादून-248171” के पते पर स्वयं अथवा डाकद्वारा या ई-मेल: [secy.uerc@gov.in](mailto:secy.uerc@gov.in) द्वारा विलम्बतः दि015.02.2025तक प्रेषित किये जा सकते हैं।